

Seventeenth Loksabha

>

Title: Statuary resolution regarding the Salaries and Allowances of Ministries (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020) and passing of . *

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 18क और 18ख, एक साथ लिए जा रहे हैं ।

श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to move:

“That this House disapproves of the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020) promulgated by the President on 9 April, 2020.”

माननीय अध्यक्ष : आप माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद बोलिएगा ।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।”

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है ।”

और

“कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है कि ‘Penny wise, pound foolish’. अर्थात् हम सामने से तो पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन वह पैसा पीछे से निकल जाता है । इसको ‘Penny wise, pound foolish’ कहते हैं । आप जो यह बिल लाए हैं, यह इससे मिलता-जुलता है । जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से बचत करते हैं । मतलब 12 महीने में 10,800 रुपये की बचत होगी । सुनते जाइएगा । मंत्रियों की 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से बचत होगी, कुल 23 मंत्री हैं । 23 मंत्री 12 प्रति माह 600 रुपये के हिसाब से बचत करते हैं । इसमें कुल बचत 1,65,600 रुपये की होती है । 32 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं । इन 32 लोगों के लिए हर महीने 300 रुपये की बचत होगी । कुल मिलाकर 300x32x12 अर्थात् 1,15,200 रुपये की बचत होगी ।...(व्यवधान) कुल बचत 2,91,600 रुपये की होगी । मंत्री जी, ठीक है ।

गजट की प्रिन्टिंग करने और इस बिल को बनाने में आपके 4,00,000 रुपये खर्च हुए हैं । इसका मतलब यह है कि आपने 4,00,000 रुपये खर्च किए हैं और 2,91,600 रुपये की बचत की है । इसलिए मैं यह कहता हूं कि ‘Penny wise, pound foolish’. आपने बचत करने की कोशिश तो की है, लेकिन वह पीछे से निकल गई है । मैं यह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र और माननीय सांसद अधीर रंजन जी भाव को नहीं समझ पा रहे हैं । मैं दो पंक्तियों की एक कहानी बताना चाहता हूं । एक जंगल में आग लग गई थी । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिहार और पश्चिम बंगाल पास-पास हैं ।

...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : महोदय, हम दोनों बार्डर्स पर एक-दूसरे से मिलते रहते हैं । जब एक जंगल में आग लगी हुई थी, तो सभी लोग आग बुझा रहे थे । किसी ने एक चिड़िया से पूछा कि क्या तुम्हारी सुन्दर सी चोंच की दो बूंद पानी से आग बुझ पाएगी? तब उस चिड़िया ने कहा कि मैं भी अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहती हूँ कि जब जंगल में आग लगी थी, तो मैंने भी अपनी सेवा दी थी । शायद वह इस भाव को नहीं समझ पा रहे हैं ।...(व्यवधान)

आप मेरे भाव को समझिएगा, शायद कुछ शब्द आगे-पीछे हो गए हों, तो हमने भी लगी हुई आग को बुझाने में अपनी सेवा दी थी और हमारा नाम भी इतिहास में दर्ज होगा ।...(व्यवधान) जो बचत की बात है, चूंकि जो सरकारी भत्ता है, जो उसका आकार है, उसका 30 प्रतिशत सभी में से जा रहा है । इसीलिए मंत्रियों के सरकारी भत्ते में से भी जाएगा । सांसद होने के नाते और चूंकि वे मंत्री भी हैं, तो सांसदों के वेतन में से जो जाएगा, वह मंत्रियों के वेतन में से सांसद के रूप में भी जाएगा । आप उस राशि को जोड़ेंगे, तो वह लगभग 4 करोड़ रुपये के आस-पास होती है । यह उन दोनों को मिलाकर है । इसलिए, आप इसके भाव को समझिए और उसको इस रूप में लीजिए । मैं यह निवेदन करूंगा कि...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, हम इसका भाव समझ गए हैं, लेकिन बात यह है कि आप जिस भाव की बात कर रहे हैं, वह भाव हमारे देश की इकोनॉमी में नहीं चलता है ।

सर, यह बात होती हमारी अर्थव्यवस्था की । आप खर्चा करते हैं चार लाख रुपये और कमाते हैं दो लाख 61 हजार रुपये, तो इस भाव से अगर देश चलेगा तो कैसे चलेगा?...(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय : अधीर रंजन जी, मैंने कहा मंत्री की कुल आय सांसद के रूप में देखेंगे तो लगभग-लगभग चार । ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हमारा एमपीलैड का फंड आप ले लेते हो । ... (व्यवधान) हमारा एमपीलैड का फंड देते तो हमें बहुत सारा फायदा होता, सारे हिंदुस्तान को फायदा होता । ... (व्यवधान) हमारे एमपीलैड के फंड को आप वापस कीजिए । एमपीलैड के फंड को आप ... * रहे हो । आप जबरदस्ती छीन कर ले लिए हैं । हमें बर्बाद कर के अभी क्या दे रहे हैं । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है ।”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

-
-
-

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

-

-
21.58 hrs

